कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य / बजट / बी–4 / 25611 / 2023–24 / दिनांक :– 03/10/2023

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय),
   माध्यमिक शिक्षा।
2. प्रधानाचार्य,
   महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) /
   राउमावि / राबाउमावि.......................................

विषयः– राजस्थान मिशन–2030 विकसित राजस्थान कार्यक्रम अन्तर्गत आयोज्य निबन्ध प्रतियोगिता हेतु राशि व्यय करने की अधिकृति वित्तीय वर्ष 2023–24

प्रसंगः– निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर का पत्रांक एफ.2(3) / डीईएस / 2023 / 04098 / 1254–1260 दिनांक 29.08.2023 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य / मा.स. / चित्रकला प्रति. / 2018–23 दिनांक 23.08.2023 एवं 01.09.2023 एवं 26.09.2023

——0——

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान को वर्ष 2030 तक विकसित राजस्थान बनाने के मिशन–2030 विकसित राजस्थान कार्यक्रम के सम्बन्ध में राज्य के समस्त राजकीय / गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 08.09.2023 को आयोज्य निबन्ध प्रतियोगिता के आयोजन के सम्बन्ध में विभाग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 23.08.2023 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर के प्रासंगिक पत्र दिनांक 29.08.2023 द्वारा उक्त कार्यक्रम हेतु प्राप्त बजट स्वीकृति के क्रम में विभाग के पत्र दिनांक 01.09.2023 तथा 26.09.2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप विभाग के अधीनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा एवं सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राउमावि / राबाउमावि को निबन्ध प्रतियोगिता के आयोजन एवं पुरूस्कार / प्रमाण पत्र मुद्रण हेतु लेखामद 3454–जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी, 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 205–राज्य सांख्यिकीय एजेंसी, 01–आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, 01–मुख्यालय (राज्य निधि) के विस्तृत उपमद 30– उत्सव और प्रदर्शनियां में नीचे लिखेनुसार प्रत्येक कार्यालय / विद्यालय को अधिकृत राशि तक व्यय करने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु प्रदान की जाती हैं :–

क्र. स.	कार्यालय / विद्यालयों हेतु आवंटित राशि / कार्य का विवरण	अधिकृत राशि (लाखों में)
1.	प्रधानाचार्य, राजकीय / गैर राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों हेतु	420.00 लाख
	(कुल विद्यालयों की संख्या 35000, प्रति विद्यालय 1200 / – रूपये)	
	कुल :–	420.00 लाख

नोट :– राजकीय विद्यालयों के लिये राजकीय विद्यालयों द्वारा राशि का व्यय किया जायेगा तथा गैर–राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु उक्तानुसार प्रति विद्यालय अधिकृत राशि का व्यय सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया जाना हैं।

उक्त आंवटित राशि का व्यय सम्बन्धित लेखामद में उपलब्ध पूल बजट प्रावधान से विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जावे।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य / बजट / बी–4 / 25611 / 2023–24 / दिनांक :– 03/10/2023

प्रतिलिपिः–निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा , शिक्षा विभाग, संभाग.........................
2. अनुभाग अधिकारी माध्यमिक अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रासंगिक पत्र के क्रम में कार्यालय हाजा।
3. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Sanjay Dhawan
Designation: Financial Advisor
Date: 2023.10.03 [illegible] IST
Reason: Approved

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref No. : 4827377